



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-532/NH-361/Water/2025-26/ 2020

Date: 30.09.2025

Invitation of Public Comments

Sub.: 4 laning of Mahagaon to Yavatmal from km 320.580 to km 400.575 section of NH-361 under Bharatmala Pariyojana under HAM - **Proposal for crossing of Water pipeline at km 368.410 village Jawala for agriculture -Reg.**

Ref.: 1. The PD, PIU Nanded's Office letter No. 1911 dated 19.09.2025.
2. Concessionaire M/s DBL letter No 695 dated 12.08.2025.

This is to inform all concerned that vide their letter under Ref.2, that the **Concessionaire M/s DBL** has submitted a proposal for the subjected work. Subsequently, the NHAI, PD, PIU-Nanded has recommended the above proposal vide his letter under Ref. 1 for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

1) The alignment / location for laying / crossing of the proposed Water Supply Pipeline the Concessionaire M/s DBL in the subject mentioned section is as follows:

- Crossing of Water pipeline at km 368.410.

2) As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall put out a NOTICE in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest etc.).

In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from the issuance of this Public Notice. Any comments received of the expiry of the above period / beyond the due date, will NOT be accepted. Please note.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
NNHA, "Narang Towers", 1st Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001, Maharashtra.
Tel: 0712-2520091; Email: ronagpur@nhai.org

Ample.
30/09/25
(र.एस. पिपले)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र. टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-530/NH-361/जल/2025-26/ 2020

दिनांक: 30.09.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

विषय: भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएच-361 के 55.835 किमी से 114.600 किमी खंड तक औसा से चाकूर तक 4 लेन का कार्य - मुख्य अधिकारी, नगर परिषद औसा द्वारा अमृत 2.0 योजना औसा शहर के अंतर्गत 56.505 किमी पर जल पाइपलाइन को पार करने का प्रस्ताव।

संदर्भ: 1. पीडी, पीआईयू नांदेड का कार्यालय पत्र संख्या 1962 दिनांक 23.09.2025।
2. मुख्य अधिकारी, नगर परिषद औसा पत्र संख्या 529 दिनांक 24.03.2025.

संदर्भ 2 के तहत उनके पत्र के अनुसार, मुख्य अधिकारी, नगर परिषद औसा ने उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात, एनएचएआई, पीडी, पीआईयू-नांदेड ने संदर्भ 1 के अंतर्गत अपने पत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन हेतु उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

- 1) प्रस्तावित जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने/क्रॉसिंग के लिए संरक्षण/स्थान मुख्य अधिकारी, नगर परिषद औसा उल्लिखित विषय अनुभाग में निम्नलिखित है:
• किमी 56.505 पर जल पाइपलाइन को पार करना।
- 2) मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसगंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक अमुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित आदि के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में एक नोटिस जारी करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित हैं। इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर, आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। उपरोक्त अवधि की समाप्ति/निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। कृपया ध्यान दें।

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर
एनएनएचए, "नारंग टावर्स", प्रथम तल,
पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),
पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440 001, महाराष्ट्र।
फ़ोन: 0712-2520091; ईमेल: ronagpur@nhai.org


(ए.एस., पिपल),
30/09/25

महाप्रबंधक (नकलीकी)

में कॉपी:

1. वेब प्रशासन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [mansoor@nic.in]